न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी सुश्री श्वेता कोचर आर0ए0एस0

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
417/2017	धारा 130 RLRA	28.06.2017	05.04.2019

धन्नाराम पुत्र खेताराम जाति जाट निवासी आसलखेड़ी तहसील व जिला चूरू (राज.)

—प्रार्थी—

बनाम

1. मृतक लालचन्द पुत्र बुजाराम जाति जाट निवासी आसलखेड़ी तह0 व जिला चूरू
(1/1) निराणी देवी बेवा लालचंद जाति जाट निवासी आसलखेड़ी तह0 व जिला चूरू
(1/2) नोपाराम पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी आसलखेड़ी तह0 व जिला चूरू
(1/3) श्रवण कुमार पुत्र जाति जाट निवासी आसलखेड़ी तह0 व जिला चूरू
(1/4) मोहनराम पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी आसलखेड़ी तह0 व जिला चूरू
(1/5) लेखराम पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी आसलखेड़ी तह0 व जिला चूरू
(1/6) प्रधान उर्फ मंगलाराम पुत्र लालचंद जाति जाट निवासी आसलखेड़ी तह0 व जिला चूरू
(1/7) भुगानी पुत्री लालचन्द जाति जाट निवासी आसलखेड़ी तह0 व जिला चूरू
(1/8) तोनू पुत्री लालचन्द जाति जाट निवासी आसलखेड़ी तह0 व जिला चूरू
(1/9) लिछमा पुत्री लालचन्द जाति जाट निवासी आसलखेड़ी तह0 व जिला चूरू
2. भंवरलाल पुत्र रामूराम जाति जाट निवासी आसलखेड़ी
3. मनरूप पुत्र रामूराम जाति जाट निवासी आसलखेड़ी
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरू

—अप्रार्थीगण—

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130 आर.एल.आर. एक्ट 1956

उपस्थित — 1. अधिवक्ता श्री शिवगौतम सोलंकी प्रार्थी
2. अधिवक्ता श्री महावीरप्रसाद वर्मा व सुरेन्द्र डूडी अप्रार्थी पक्ष

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130 आर.एल.आर. एक्ट 1956 का पेश कर निवेदन किया कि कृषि भूमि ख.नं. 47 तादादी 1 बीघा 9 विश्वा, ख.नं. 52 तादादी 9 बीघा 10 विश्वा, ख.नं. 61 तादादी 18 बीघा 4 विश्वा, ख. नं. 847/652 तादादी 2 बीघा कुल कीता 4 कुल तादादी 31 बीघा 3 विश्वा रोही मौजा आसलखेड़ी तहसील चूरू में स्थित है। प्रार्थी ने उक्त कृषि भूमि का सीमांकन कर पत्थरगढ़ी करने बाबत एक विविध प्रार्थना पत्र सं. 05/2010 अनुवानी धन्नाराम बनाम लालचन्द आदि माननीय न्यायालय में पेश किया जिसे स्वीकार करते हुए दिनांक 16.04.2012 को निर्ण कर तहसीलदार, चूरू को आदेश दिया गया कि उक्त कृषि भूमि का सीमांकन कर पत्थरगढ़ी करवायी जावे। उक्त आदेश के अनुसरण में तहसीलदार, चूरू ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों के मार्फत दिनांक 08.06.2017 को उक्त कृषि

उप खण्ड अधिकारी
चूरू

भूमि का सीमांकन कर पत्थरगढ़ी करवा दी पर लालचंद व उसके पुत्रों ने उक्त पत्थरगढ़ी को उखाड़ कर पट्टी को अलग कर दी गई व अप्रार्थीगण संख्या 02, 03 उसके साथ थे। प्रार्थी ने उक्त पत्थरगढ़ी उखाड़ने का विरोध किया तो लालचन्द व उसके पुत्रों ने प्रार्थी को मारपीट करने को उतारू हो गये व जान से मारने की धमकी दी और प्रार्थी ने इसकी सूचना पुलिस को दी मगर कोई कार्यवाही नहीं की और इस्तगासा उक्त न्यायालय में पेश किया गया। अप्रार्थीगण सं. 01 से 03 बदमाश किस्म के व्यक्ति हैं तथा उनका मुकाबला प्रार्थी करने में असमर्थ है इस कारण वह अपने स्तर पर अपने खेत की पत्थरगढ़ी नहीं कर सकते हैं इसलिए तहसीलदार चूरू को पुनः पत्थरगढ़ी का आदेश दिया जावे पुलिस जाब्ते के साथ उक्त कृषि भूमि की पुनः पत्थरगढ़ी के आदेश दिया जाना आवश्यक है। पूर्व में पत्थरगढ़ी के दौरान 35 पट्टीयां लगाई गई थी इन पट्टीयों को अप्राथीगण सं. 01 से 03 ने उखाड़ दिया जिस कारण अप्रार्थीगण को दण्डित भी किया जावे। विवादित कृषि भूमि माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित है इसलिए माननीय न्यायालय को उक्त प्रकरण सुनवाई का श्रवणाधिकार प्राप्त है तथा प्रार्थनापत्र उचित कोर्ट फीस पर हस प्रकार से अन्दर मियाद प्रस्तुत है। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर कृषि भूमि ख.नं. 47 तादादी 1 बीघा 9 विश्वा, ख.नं. 52 तादादी 9 बीघा 10 विश्वा, ख.नं. 61 तादादी 18 बीघा 4 विश्वा, ख. नं. 847/652 तादादी 2 बीघा कुल कीता 4 कुल तादादी 31 बीघा 3 विश्वा रोही मौजा आसलखेड़ी तहसील चूरू के प्रार्थी के हिस्से की भूमि की पुनः पत्थरगढ़ी करवाने के लिए तहसीलदार चूरू को आदेशित फरमाया जावे कि पुलिस जाब्ते व अनुममि अधिकारी की टीम के साथ पुनः पत्थरगढ़ी करवाई जावे और अप्रार्थीगण सं. 1 से 3 पर शास्ति अधिरोपित की जावे।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की जरिये सम्मन तलबी की गई जिस पर अप्रार्थी सं. 1 की ओर से श्री महावीरप्रसाद वर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया एवं अप्रार्थी सं. 2 व 3 के विधिवत तामील के बावजूद उपस्थित नहीं आने पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई। वकील प्रार्थी की ओर से दिनांक 04.12.17 को अप्रार्थी सं. 1 के फौत हो जाने से प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. का मय संशोधित शीर्षक प्रार्थना पत्र व सम्मन तलवाना पेश किया। सम्मन जारी किये गये। प्रार्थना पत्र की प्रति वकील अप्रार्थी को दी जाकर तलबी व जवाब हेतु रखा गया। अप्रार्थी सं. 1/1 से 1/9 की ओर से श्री सुरेन्द्र जाखड़ एडवोकेट ने अण्डरटेकिंग दी। अप्रर्थीगण की ओर से श्री सुरेन्द्र डूडी एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। काफी अवसर दिये जाने के बाद भी कायम मुकाम प्रार्थना पत्र का जवाब नहीं देने का कथन किया जिस पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर संशोधित शीर्षक पत्रावली के अवर में शामिल किया गया। वकील अप्रार्थीगण को जवाब हेतु काफी अवसर देने के पश्चात् जवाब पेश किया जिसकी प्रति वकील प्रार्थी को दी जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

अप्रार्थी सं. 1/1 से 1/9 की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित किया कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 1 में वर्णित कृषि भूमि के ख. नं. व तादादी जानकारी के अभाव में स्वीकार नही है अस्वीकार की जाती है। प्रार्थी की कृषि भूमि रोही मौजा आसलखेड़ी तहसील चूरू में स्थित होने का कथन स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 3 में वर्णित यह कथन कि उक्त आदेश की अनुसरण में तहसीलदार महोदय ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों की मार्फत उक्त कृषि भूमि का सीमांकन कर पत्थरगढ़ी करवा दी स्वीकार है। इस मद के शेष कथन गलत एवं झूठ लिखे होने के कारण से स्वीकार

उप खण्ड अधिकारी

नहीं अस्वीकार किये जाते हैं। स्व. लालचन्द व उसके पुत्रों ने की गई पत्थरगढ़ी को न ता हटाया, न उखाड़ा व न ही पट्टी गिराई अप्रार्थी सं. 2 व 3 भंवरलाल व मनरूप से अप्रार्थीगण निराणी वगैरा से कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं रहा है अप्रार्थीगण के द्वारा न तो प्रार्थी के साथ मारपीट करने की धमकी दी व न ही जान से मारने की धमकी दी प्रार्थी द्वारा अगर ऐसी कोई सूचना पुलिस को दी गई है तो वो सरासर झूठी दी गई है। अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय का इस्तगासा भी सरासर झूठा पेश किया गया है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 4 गलत व झूठ व बिना किसी आधार के लिखी हुई होने के कारण स्वीकार नहीं है अस्वीकार की जाती है। अप्रार्थीगण सीधे साधे व ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति हैं। जिनके द्वारा पूर्व में की गई पत्थरगढ़ी को नहीं उखाड़ा गया है ऐसी परिस्थिति में पुनः पत्थरगढ़ी का आदेश दिया जाना तथा पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में पत्थरगढ़ी करवाया जाना न तो आवश्यक है व न ही पूर्व में की गई पत्थरगढ़ी के अस्तित्व में रहते हुये ऐसा आदेश दिया जाना कतई आवश्यक ही है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 5 गलत एवं झूठ लिखी हुई होने के कारण से स्वीकार नहीं है अस्वीकार की जाती है पूर्व में की गई पत्थरगढ़ी के स्थान पर अब पुख्ता सीवें कायम हो चुकी हैं पुख्ता निशानात मौजूद हैं पूर्व में की गई पत्थरगढ़ी को प्रार्थीगण द्वारा नहीं उखाड़ा गया है ऐसी सूरत में अप्रार्थीगण किसी भी प्रकार से दण्डित किए जाने योग्य नहीं हैं। यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 6 कानूनी है जवाब की कोई आवश्यकता नहीं है फिर भी विकल्प में अप्रार्थीगण का निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा पेश पुनः पत्थरगढ़ी कराने का ये प्रार्थना पत्र किसी प्रकार से स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है, हर प्रकार से खारिज किए जाने योग्य है।

अप्रार्थीगण ने जवाब के विशेष आपत्तियां कथन में अंकित किया कि प्रार्थी द्वारा पूर्व में पत्थरगढ़ी का आवेदन पत्र पेश किया गया जिसको स्वीकार कर पत्थरगढ़ी करवा दी गई, जो आज भी कायम है अब प्रार्थी द्वारा पूर्व में की गई पत्थरगढ़ी के पुख्ता निशानात मिटाने व अप्रार्थीगण की कृषि भूमि को हड़पने की मंशा से पुनः यह नया आवेदन पत्र पेश किया है जो बार्ड बाई लॉ है। प्रार्थी पर रेस्ज्युडिकेटा का सिद्धान्त लागू होता है। यह कि एक आदेश की कियान्विति एक बार हो जाने पर पुनः कियान्विति विधि अनुसार सही नही है। पूर्व में पत्थरगढ़ी की जा चुकी है, आदेश की पालना हो चुकी है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को तंग परेशान करने की मन्शा से वा खर्चे से जेरबार करने की लिहाज से यह झूठा आवेदन पत्र पेश किया है। अतः जवाब पेश कर अर्ज है कि प्रार्थी का पुनः पत्थरगढ़ी का यह आवेदन पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र में जवाब पेश होने के बाद प्रार्थना पत्र पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि वादगत कृषि भूमि में से ख.नं. 52 व 61 की पूर्व में पत्थरगढी करवा कर 35 पट्टियां रोपी गई थी जो अप्रार्थीगण द्वारा उखाड़ दी गई हैं। इसलिए सम्पूर्ण कृषि भूमि के सीमाज्ञान एवं पुनः पत्थरगढी के लिए पेश यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादगत कृषि भूमि का सीमाज्ञान एवं पुख्ता पत्थरगढी पुनः करवाने का आदेश फरमाया जावे। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में जवाब कथनों को दोहराते हुए जाहिर किया कि प्रार्थी की कृषि भूमियों का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी पूर्व में इसी न्यायालय के आदेश दिनांक 16.04.2012 के द्वारा करवाई जा चुकी है तथा मौके पर आज भी उसी अनुरूप पुख्ता सींव कायम है। ऐसी सूरत में जबकि वादगत कृषि भूमि के सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी के आदेश जारी होकर आदेश की पालना हो चुकी है, मौके पर पुख्ता सींव आज भी कायम है तथा अप्रार्थीगण द्वारा उक्त सींव को नहीं उखाड़ा गया है, तब पुनः उसी अनुतोष को उसी न्यायालय में प्राप्त करने का प्रार्थी अधिकारी

उप खण्ड अधिकारी

है तथा इस प्रकरण पर रेसज्युडिकेटा का सिद्धान्त लागू होने के कारण प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र व पेश दस्तावेज का अवलोकन किया जाकर वकील उभय पक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र पर की गई बहस के तथ्यों पर मनन किया गया। प्रार्थी ने अपने प्रा0पत्र में अपनी खातेदारी कृषि भूमि की पूर्व में की गई पत्थरगढी को अप्रार्थीगण द्वारा उखाड़ देने से पुनः पत्थरगढी करवाने का अनुतोष चाहा है। अप्रार्थी सं. 1/1 से 1/9 ने प्रार्थी के समस्त कथनों को नकारते हुए कथन किया है कि हमारे द्वारा प्रार्थी के खेत की पत्थरगढी को नहीं उखाड़ा गया है तथा मौके पर पुख्ता सींव आज भी कायम है। इसलिए दुबारा पत्थरगढी करवाने का आदेश इसी न्यायालय से प्राप्त करने का अधिकार प्रार्थी को नहीं है। प्रार्थी के इस प्रार्थना पत्र पर रेसज्युडिकेटा का सिद्धान्त लागू होता है। अतः प्रा0 पत्र खारिज किया जावे। जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 ग्राम आसलखेड़ी ख.नं. 47, 52, 61, 847/652 तादादी क्रमशः 1.09, 9.10, 18.04, 2.00 कुल तादादी 31.03 बीघा में वर्तमान में प्रार्थी धन्नाराम पुत्र खेताराम जाति जाट सा.देह खातेदार तथा सम्पूर्ण खाता बी.आर.के.जी.बी. शाखा रीको चूरू के रहन दर्ज है। नकल नक्शा ग्राम आसलखेड़ी के अनुसार वादगत कृषि भूमि ख.नं. 47, 52, 61 एक ही जगह स्थित है जिसके बीच में से दो कटानी रास्ते जाने से उक्त भूमि तीन भागों में बंटी हुई है। नकल निर्णय दिनांक 16.04.12 वि0 प्रार्थना पत्र सं. 5/2010 अनुवानी धन्नाराम बनाम लालचन्द आदि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थी द्वारा तत्समय अपने 190 हिस्सा के सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाने हेतु अपने सह खातेदारों को पक्षकार बनाकर आवेदन पत्र इस न्यायालय में पेश किया था जिसमें अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया जाने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ख.नं. 52 व 61 में से प्रार्थी के 190 हिस्सा के सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी के आदेश दिनांक 16.04.2012 को इस न्यायालय द्वारा जारी किये गये। प्रार्थी द्वारा निर्णय दिनांक 16.04.2012 की पालना में नपती कर पत्थरगढी करवाने बाबत पेश किया गया प्रार्थना पत्र एवं सर्वेक्षण एवं सीमाज्ञान हेतु तहसीलदार, चूरू को प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 26.05.2017 के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थी को सीमाज्ञान हेतु 200/– रूपये तथा पत्थरगढी के 35 पत्थरों के 50/– रूपये प्रति पत्थर की दर से 1750/– रूपये कुल 1950/– रूपये जमा कराने का आदेश ऑफिस कानूनगो द्वारा दिया गया तथा प्रार्थना पत्र को पृष्ठ संख्या 75 क्रमांक 931 पर दर्ज कर सम्बन्धित भू–अ.निरीक्षक व पटवारी हल्का अति0 झारिया को जांच तथा रिपोर्ट के लिए अग्रेषित किया गया। भू–अ.निरीक्षक व पटवारी हल्का द्वारा पेश मौका रिपोर्ट दिनांक 08.06. 2017 में अंकित है कि "मौके पर एक खेत जिसके ख.नं. 52, 61 व 47 तादादी 29.03 बीघा हैं उक्त तीनों खसरा नम्बरान में से दो कटानी रास्ते राजस्व रिकार्ड के अनुसार अंकित हैं। प्रार्थी उक्त 29.03 बीघा कृषि भूमि पर पत्थरगढी करवाना चाहता है, जबकि संलग्न डिक्री वि.प्रा.पत्र सं. 5/2010 दि. 27.7.10 के मुताबिक ख.नं. 52 व 61 में प्रार्थी का 190 हिस्सा पर पत्थरगढी करवाये जाने के आदेश हैं। अतः प्रार्थी तादादी 29.03 बीघा पर पत्थरगढी हेतु संशोधित डिक्री जारी करवाये ताकि पत्थरगढी की कार्यवाही की जा सके।" न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चूरू के समक्ष पेश परिवाद अन्तर्गत धारा 107, 116 (3) दं.प्र.संहिता की छाया प्रति के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सं. 1 व उसके पुत्रों तथा अप्रार्थी सं. 2, 3 व उसके भाई ओमप्रकाश व परसाराम के द्वारा प्रार्थी के खेत की पश्चिम व दक्षिणी सींव को काटकर नष्ट करने एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को जान से मारने की धमकी देने पर प्रार्थी द्वारा यह परिवाद न्यायालय में पेश कर अप्रार्थीगण को पाबन्द करवाने हेतु पेश किया गया।

उप खण्ड अधिकारी

उपरोक्त दस्तावेजों के अवलोकन एवं वकील उभयपक्ष द्वारा की गई बहस के तथ्यों से यह स्पष्ट होता है प्रश्नगत कृषि भूमि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि है, जिनमें से ख.नं. 52 व 61 पर पूर्व में की पत्थरगढी अप्रार्थीगण द्वारा उखाड़ दी गई है। इसलिए अब प्रार्थी ख.नं. 52 व 61 के साथ अपनी खातेदारी के शेष ख.नं. 47 व 847/652 की कुल 31.03 बीघा रोही मौजा आसलखेड़ी का पुनः सीमा ज्ञान कर पुख्ता पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है। अप्रार्थी सं. 2 व 3 अनुपस्थित रहे हैं तथा अप्रार्थी सं. 1/1 से 1/9 ने अपने जवाब व बहस में आपत्ति होने का कथन करते हुए पहले से ही उक्त भूमि की पत्थरगढी की हुई मौजूद होना अंकित किया है तथा वर्तमान में मौके पर पुख्ता सींव कायम होना बताया है परन्तु अपने जवाब कथनों के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है। ऐसी स्थिति में केवल मौखिक कथन के आधार पर पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र का निर्णय किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अप्रार्थीगण ने इस प्रार्थना पत्र पर रेसज्युडिकेटा का सिद्धान्त लागू होने का कथन किया है परन्तु प्रार्थी के पूर्व एवं वर्तमान प्रार्थना पत्रों की विषयवस्तु भिन्न भिन्न प्रकृति की पायी जाने से उक्त रेसज्युडिकेटा का सिद्धान्त इस प्रार्थना पत्र पर लागू नहीं होता। प्रार्थी वादगत कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार है तथा प्रार्थी अपनी सम्पूर्ण खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवा कर पुनः पत्थरगढी करवाना चाहता है इसलिए प्रथम दृष्टया प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उचित प्रतीत होता है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी नियमानुसार खर्चा वहन करने को तैयार है तथा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने से किसी अन्य खातेदार/काश्तकार या राज्य सरकार को कोई हानि होने की सम्भावना नहीं है क्योंकि इस प्रकार के प्रार्थना पत्र से किसी पक्षकार के हक व अधिकारों का विनिश्चय नहीं होता। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उचित होने से स्वीकार किया जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचना के आलोक में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130 आर.एल.आर. एक्ट का उचित होने से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, चूरू को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी से नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा करवाया जावे एवं सम्बन्धित पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित की जाकर वादगत कृषि भूमि ग्राम आसलखेड़ी ख.नं. 47, 52, 61, 847/652 तादादी क्रमशः 1.09, 9.10, 18.04, 2.00 कुल तादादी 31.03 बीघा की नपती की जाकर सीमा ज्ञान एवं पुनः पत्थरगढ़ी करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 05.04.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्वेता कोचर)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

उप खण्ड अधिकारी चूरू (राजस्थान)